आयकर आयुक्त –I, विशाखपट्टणम की कार्यवाही

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX-I : VISAKHAPATNAM

आई. सुरेश बाबु , भा.रा.से./ I. SURESH BABU , IRS

आयकर आयुक्त –I, विशाखपट्टणम / Commissioner of Income Tax-I, Visakhapatnam

फा.सं. तक-III (38)/80जी/सी.आई.टी.–I/विशाखा/11-12 — दिनांक: 26.12.2011

F.No. Tech-III (38)/ 80G/ CIT-I/Vskp/11-12 — Dated : 26-12-2011

विषय : संस्थान या निधि के लिए या उसे बनाये रखने के लिए अनुमोदन की मंजूरी (आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 जी(2) व (5) का संदर्भ लें) के संबंध में । रोटेंरि क्लब विशखपट्नम सॉत चरिटेंबुल ट्रसट्र , विशखपट्नम

SUB : Granting of an approval or for continuance thereof to an Institution or a fund (referred to 80G u/s G(2) &(5) of the I.T. Act,1961) -**ROTARY CLUB VISAKHAPATNAM SOUTH CHARITABLE TRUST, VISAKHAPATNAM.** – Reg.

संदर्भ : **रौटेंरि क्लब विशखपट्नम सॉत चरिटेंबुल ट्रसट्र , विशखपट्नम**-.. द्वारा प्रपत्र 10 जी में फाइल किया गया आवेदन ।

REF : The application in Form No. 10 G filed by **ROTARY CLUB VISAKHAPATNAM SOUTH CHARITABLE TRUST, VISAKHAPATNAM.**

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अतंर्गत अनुमोदन

APPROVAL U/S.80G(5) (vi) OF THE INCOME TAX ACT,1961

उपरोक्त के मामले में दिनांक 20-10-2011 को अनुमोदन के लिए प्रपत्र 10 जी में फाइल किये गये आवेदन की जाँच की गई एवं मुझे इस बात कि संतुष्टि है कि:-

The application filed in Form No. 10G seeking approval in the above case on 20-10-2011 has been examined and I am satisfied that ;

(i) यह निधि / न्यास आयकर अधिनियम ,1961 की धारा 80 जी की उपधारा-2 के खंड (iv) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार है ;
This is a fund/trust as mentioned in clause(iv) of sub-section 2 of Sec. 80G of the I.T. Act,1961;

(ii) उक्त न्यास /निधि/सोसइटी को दिये गये दान की राशि उस व्यक्ति की आय की संगणना करने में कटौती के लिए लागू होगी जिसने दान दिया है अर्थात जिस दाता के हाथों दान दिया गया है।
The donations made to the said trust/fund/society do qualify for deduction in computing the income of a person who makes the donation i.e. n the hands of the donor.

तदनुसार आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80 जी(5)(vi) के तहत् एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान की जाती है ।

Accordingly the approval sought for is hereby accorded u/s. 80G(5)(vi) of the I.T. Act 1961.

21. यह अनुमोदन दिनांक **20-10-2011**.से प्रभावी होगा बशर्ते यह आयकर अधिनियम,1961 के सभी अन्य प्रावधान, जहाँ लागू हों,और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो :

The approval shall have effect on onwards **20-10-2011** subject to all other provisions of the I.T. Act, 1961 as applicable and the following conditions :

(i) दाता को जारी की गई रसीदों पर रसीद संख्या और इस आदेश की तारीख तथा उसकी वैध्यता की अवधि होनी चाहिए।

The receipts issued to the donors should bear the number and the date of this order and the period of validity.

(ii) निधि अथवा संस्था को दिनांक 31-03-2011.को समाप्त अवधि तथा परवर्ती वर्ष (वर्षो) के लिए अपनी आय एवं व्यय से संबंधित विवरण तथा अन्य वित्तीय विवरण निर्धारित समाय सीमा के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

The fund or institution shall submit the statement of income and expenditure and other financial statements for the year ended 31.03.2011 and subsequent year(s) within the prescribed time before the prescribed authority.

(iii) निधि अथवा संस्था को नियमित रुप से लेखा-बहियों का रख-रखाव करना होगा एवं आयकर अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) खंड (ख) के अपेक्षानुसार उनकी लेखा परीक्षा करनी होगी।

The fund or institution shall maintain the books of Account regularly and also get them audited as required under clause (b) of Sub-section (1) of section 12A of the I.T. Act.

(iv) धारा 139(4क) के साथ पठित धारा 139(1) के अनुसार निधि अथवा संस्था को नियमित रुप से आय की रिटर्न फाइल करनी होगी ।

The fund or institution shall file the return of Income regularly as stipulated under section 139(1) read with section 139(4A).

(v) न्यास/सोसइटी/संघ/कंपनी के विलेख में नियत कानूनी कार्यविधि अर्थात उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के आदेश के बिना किये गये किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रभावी नहीं माना जायेगा एवं इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देनी होगी ।

No change in Deed of the Trust/Society/Association/Company shall be effected without due procedure of law i.e. by the order of the jurisdictional High Court and its intimation shall be given immediately to this office.

(vi) धारा 80 जी की उप-धारा(5)के खंड(i) में वर्णित परंतुक के अनुसार निधि अथवा संस्था को कारोबार की गतिविधियों के संबंध में अलग से लेखा बहियों का रख-रखाव करना होगा । प्राप्त किये गये दान का उपयोग कारोबार के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नहीं करना चाहिए ।

The fund or institution shall maintain separate books of account in respect of business activity as stipulated in the proviso to Clause (i) of Sub-sectioin(5) of Section 80G . The donations received should not be used directly or indirectly for the purpose of business.

(vii) किसी पूर्व वर्ष में उस पूर्व वर्ष की कुल आय की पांच प्रतशित से अधिक राशि धार्मिक कार्यों पर व्यय नहीं करना चाहिए ।

No expenditure should be incurred which is religious nature in any previous year in excess of five percent of its Total Income of that previous year.

(viii) पुण्यार्थ कार्यों में पूर्ण रुप से या पर्याप्त मात्रा में किसी धार्मिक प्रकृति संबंधी कार्य शामिल नहीं होती है ।

Charitable purpose does not include any purpose the whole or substantially the whole of which is of a religious nature.

(ix) धनराशि के रुप में दिये गये दान को छोडकर किसी अन्य दान को धारा 80 जी के अंतर्गत कटौती के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी ।

No deduction under Section 80G shall be allowed in respect of any donation unless such donation is of a sum of money.

(x) निधि अथवा संस्था धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा ।
The fund or institution shall not violate the provisions of Section 13

छूट के लिए मांग करने वाली निधि अथवा संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी की उप-धारा(5) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा ।

The fund or institution seeking exemption shall fulfill the condition specified in Sub-Section (5) of Section 80G of I.T, Act,1961.

Sd/-

आई. सुरेश बाबु, भा.रा.से/ **I. SURESH BABU, IRS**
आयकर आयुक्त –I, विशाखपट्टणम
Commissioner of Income Tax-I, Visakhapatnam

प्रतिलिपि/ copy to:

1 रोटेंरि क्लब विशखपट्नम सोंत चरिटेंबुल ट्रसट्र , विशखपट्नम

ROTARYCLUB VISAKHAPATNAM SOUTH
CHARITABLE TRUST,
MIG-11A, ROTARY CLUB,
AUTO NAGAR,
VISAKHAPATNAM.

1. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-5, विशाखपट्टणम/ADDL. CIT, Range- 5, Visakhapatnam.
2. उप आयकर आयुक्त, सर्कल 5(1), विशाखपट्टणम / DCIT. Circle – 5(1) , Visakhapatnam.

भवदीय/Yours faithfully

(के.वि. सत्यनारयण राव/K.V.SATYANARAYANA RAO)
आयकर अधिकारी(मुख्य)/Income-Tax Officer(Hqrs)
का.आ.आ-1, विशाखापट्टणम/O/O THE CIT-1, VISAKHAPATNAM